मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक :एफ 11-1/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय अनुशासन।

—•••—

शासकीय सेवकों को कर्तव्य व उत्तरदायित्वों के बेहतर निष्पादन के उद्देश्य से वाहन सुविधा प्रदान की जाती है । यह संज्ञान में आया है कि शासकीय सेवक को एक से अधिक पद के दायित्वों आदि के परिणामस्वरूप ऐसे शासकीय सेवक के व्यक्तिगत अधिपत्य में एक से अधिक वाहन हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे अतिरिक्त वाहन का युक्तियुक्त उपयोग हो सकने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-

(अ) शासकीय सेवक के व्यक्तिगत अधिपत्य में एक से अधिक वाहन की स्थिति होने पर उसके द्वारा तत्काल यह जानकारी विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाए । यदि वह स्वंय विभागाध्यक्ष है तब प्रशासकीय विभाग के प्रमुख को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ब) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख/विभागाध्यक्ष ऐसे अतिरिक्त वाहन के लिए निम्नांकित कार्यवाही करें:-

(i) शासकीय वाहन है तब वह अन्य किसी शासकीय सेवक को उसके कर्तव्य, दायित्वों के आधार पर आवंटित करें ।

(ii) यदि किराये से अनुबंधित वाहन है तब उतनी संख्या तत्काल कम करें ।

(iii) अतिरिक्त दायित्व के पद पर अन्य अधिकारी की पदस्थापना पर प्रशासकीय विभाग के प्रमुख/विभागध्यक्ष, पूर्व स्थिति को बहाल करने का निर्णय ले सकेंगें।

(स) अतिरिक्त वाहन की उपर्युक्त (ब) अनुसार व्यवस्था की संकलित जानकारी प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए ।

2/ यह भी ज्ञात हुआ है कि अधिकारी को किराए से अनुबंधित वाहन का आवंटन किए जाने पर उनसे गृह (परिवहन) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 22-157/99/आठ, दिनांक 31-12-99 के अनुसार निर्धारित वाहन शुल्क (कतिपय प्रकरणों में) प्राप्त नहीं किया जा रहा है । अतः ऐसे अधिकारी से न केवल निर्धारित वाहन शुल्क प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए अपितु पूर्व अवधि के लिए देय वाहन शुल्क भी प्राप्त कर शासकीय कोष में जमा किया जाए ।

3/ उपर्युक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए । आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उपरवर्णित निर्देशों का पालन नहीं होने पर उस अतिरिक्त वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान नहीं करें ।

4/ यह निर्देश राज्य शासन के निगम, मण्डल, स्वशासी संस्थाएं, निकाय, विश्वविद्यालय ऐसे समस्त संस्थानों के लिए भी समान रूप से प्रभावी होगें, परन्तु शासकीय विभागों एवं वर्णित संस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उपलब्ध पूल वाहनों के लिए लागू नहीं होगें। यह सुनिश्चित किया जाए कि पूल वाहन निर्धारित संख्या में ही रहें ।

5/ यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग जैन)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 11-1/2019/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग